



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई 2012-आषाढ़ 29, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष
(कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका क्र. 16/2012

कम्पनी याचिका (आवेदन) क्र. 14/2012 के साथ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

एवं

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के मामले में

एवं

अनु ट्रेडिंग प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय

लाभ-गंगा, 582, एम. जी. रोड, इन्दौर-452 003

एवं

अनु ट्रेडिंग प्रायवेट लिमिटेड के शिनानो रिटेल प्रायवेट लिमिटेड में

समामेलन की योजना के मामले में

एवं

के मामले में:

याचिकाकर्ता:

अनु ट्रेडिंग प्रायवेट लिमिटेड,

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित कम्पनी एवं

जिसका पंजीकृत कार्यालय लाभ-गंगा, 582, एम. जी. रोड,

इन्दौर-452 003.

.....याचिकाकर्ता कम्पनी

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ता अनु ट्रेडिंग प्रायवेट लिमिटेड (अंतरक कम्पनी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-391 व 394 के अन्तर्गत दिनांक 18 जून, 2012 को शिनानो रिटेल प्रायवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के साथ एक समामेलन योजना की

माननीय उच्च न्यायालय से मंजूरी प्राप्त करने के लिये एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनांक 29 अगस्त, 2012 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ता के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 5 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ता के अभिभाषक से निश्चित देय शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है।

इन्दौर :

दिनांक 11 जुलाई, 2012.

अक्षय सप्रे,
अभिभाषक,
तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनी,
1856, राइट टाउन,
जबलपुर-482002 (म. प्र.).

(86-बी.)

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2012

परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की सूची एवं कार्यक्षेत्र

क्र. 235/विधि/प्रनिबो/2012.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-49 (1) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-43 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध अधिकारियों और प्राधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये सारणी के स्तम्भ 3 में उनमें से प्रत्येक के सामने उल्लेखित अधिकारिता क्षेत्र के लिये प्राधिकृत करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी	अधिकारिता क्षेत्र
1.	अध्यक्ष/सदस्य सचिव	सम्पूर्ण म. प्र.
2.	अधीक्षण यंत्री/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
3.	प्रयोगशाला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
5.	कार्यपालन यंत्री/मुख्य रसायनज्ञ, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
6.	उप क्षेत्रीय अधिकारी/इन्चार्ज ग्रोथ सेन्टर, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
7.	सहायक यंत्री/वैज्ञानिक/समस्त द्वितीय श्रेणी अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	संबंधित क्षेत्र

मध्यम एवं वृहद् श्रेणी से संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रकरणों में अध्यक्ष या सदस्य सचिव से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा लघु श्रेणी से संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रकरणों में क्षेत्रीय अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

(79-बी.)

Bhopal, dated 28th June, 2012

**LIST OF OFFICERS AND THEIR JURISDICTION AUTHORIZED FOR TAKING
COGNIZANCE OF OFFENCE**

No. 235/MPPCB/Bhopal/2012.—In exercise of the powers conferred under clause (1) of section 49 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under clause (1) of section 43 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Madhya Pradesh Pollution Control Board hereby authorizes following officers and authorities listed in column (2) of the below for the purpose of the said section with the jurisdiction mentioned against each of them in column (3) of that Table:—

TABLE

S. No.	Officers	Jurisdiction
1.	Chairman/Member Secretary	Whole of State
2.	Superintending Engineer/Senior Scientific Officer, Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Concerned area
3.	Laboratory Incharge, Regional Laboratory, MPPCB Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Concerned area
4.	Regional Officer, Regional Office Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Concerned area
5.	Executive Engineer/Chief Chemist, Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Concerned area
6.	Sub Regional Officer/Incharge Growth Center, Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Concerned area
7.	Assistant Engineer/Scientist and any of the Class-II, Officers of the Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Concerned area

Cases relating to medium/major category of units shall be filed after obtaining permission from the Chairman or Member Secretary, and for SSI, cases shall be filed after obtaining permission from Regional Officer.

For & on behalf of M. P. Pollution Control Board.

R. K. Jain,

Member Secretary.

(79-B.A)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप श्रीवास अपने पुत्र जिसको पूर्व में सुधांशु सागर के नाम से जाना व पहचाना जाता है, जिसको परिवर्तित करके मैं, सुधांशु सागर श्रीवास करता हूँ. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को सुधांशु सागर श्रीवास के नाम से जाना व पहचाना जावे.

(संदीप श्रीवास)

पता. —31 बी, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद,
भोपाल, मोबाईल-9826016629

(80-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम दीपांशु सागर आत्मज श्री संदीप श्रीवास था जो कि अब बदलकर दीपांशु सागर श्रीवास हो गया है. अतः मुझे भविष्य में परिवर्तित नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(दीपांशु सागर)

(81-बी.)

नया नाम :

(दीपांशु सागर श्रीवास)

पता. —31 बी, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रेया माखीजा पत्नी श्री दीपक माखीजां विवाह पूर्व गीता वासवानी एवं विवाह उपरान्त हर्षा माखीजा के नाम से जानी जाती थी. आज से मेरा नाम श्रेया माखीजा पत्नी श्री दीपक माखीजा हो गया है. अतः आज से सभी स्थानों पर श्रेया माखीजा के नाम से जानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(गीता वासवानी उर्फ हर्षा माखीजा)

(82-बी.)

नया नाम :

(श्रेया माखीजा)

R/o A-83, मिनाल रेसीडेंसी,
जे. के. रोड, भोपाल-462023 (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक माखीजा यह घोषित करता हूँ कि मेरा पुत्र जिसका नाम जन्म के समय उदित माखीजा रखा गया था. आज से उसका नाम अभिषेक माखीजा हो गया है. अतः आज से वह सभी स्थानों पर अभिषेक माखीजा के नाम से जाना जाएगा.

(दीपक माखीजा)

(83-बी.)

R/o A-83, मिनाल रेसीडेंसी,
जे. के. रोड, भोपाल (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम खान अली था, जो अब परिवर्तित होकर मुर्तजा नलवाला हो गया है. अतः भविष्य में मेरे नये नाम मुर्तजा नलवाला के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(खान अली)

(84-बी.)

नया नाम :

(मुर्तजा नलवाला)

103, सैफी नगर,
खातीवाला टैंक, इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक जैन ने अपना नाम परिवर्तन करके नया नाम दिलीप कुमार सिसौदिया कर लिया है. अब से नये नाम अर्थात् दिलीप कुमार सिसौदिया से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :

(दीपक जैन)

(85-बी.)

नया नाम :

(दिलीप कुमार सिसौदिया)

15, गिरधर नगर, महेश नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2012

अल्प अवधि निविदा सूचना

क्र.जी. बी./दो(68)2012/2427.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, भोपाल में “ए” श्रेणी में पंजीकृत ऐसे समस्त मुद्रक को गोपनीय कार्य हेतु आई.बी.ए. में रजिस्टर्ड हैं, से निम्नानुसार कम्प्यूटराईज्ड रोल स्टेशनरी मुद्रण कर प्रदाय हेतु निविदा मूल्य राशि रुपये 1,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल के पक्ष में संलग्न कर सील बंद लिफाफे में पेपर सहित मुद्रण दरें प्रति हजार (समस्त कर सहित) आमंत्रित की जाती हैं:—

स. क्र.	विवरण	संख्या	सरल क्रमांक	आकार एवं प्रति
1.	प्रारूप-47 अथौराइजेशन.	50,000	12,00,00,00,001 से 12,00,00,50,000.	19×30.5 से.मी. 1+3 प्रति में कार्बन पेपर सहित.
2.	प्रारूप-50 पक्का परमिट मालयान.	20,000	12,00,00,00,001 से 12,00,00,20,000.	19×30.5 से.मी. 1+3 प्रति में कार्बन पेपर सहित.
3.	प्रारूप-51 अस्थाई परमिट.	2,50,000	12,00,00,00,001 से 12,00,02,50,000.	19×30.5 से.मी. 1+3 प्रति में कार्बन पेपर सहित.
4.	प्रारूप-54 पर्यटक यान स्थाई परमिट	5,000	12,00,00,00,001 से 12,00,00,05,000.	19×30.5 से.मी. 1+3 प्रति में कार्बन पेपर सहित.
5.	प्रारूप-जी मोटरयान कर रसीद.	3,00,000	12,00,00,00,001 से 12,00,03,00,000.	15.3×19 से.मी. 1+1 प्रति में कार्बन पेपर सहित.
6.	प्रारूप-28 अनापत्ति प्रमाण-पत्र.	1,00,000	12,00,00,00,001 से 12,00,01,00,000.	15.3× 23 से.मी. 1+2 प्रति में कार्बन पेपर सहित.
7.	प्रारूप-21 अस्थाई पंजीयन (टी.आर.)	1,50,000	12,00,00,00,001 से 12,00,01,50,000.	15.3× 25.5 से.मी. 1+1 प्रति में कार्बन पेपर सहित.

- उपरोक्त सामग्री कम्प्यूटर रोल स्टेशनरी पर 58 जी.एस.एम. अच्छी गुणवत्ता के पेपर पर मुद्रित की जाना है. मुद्रित की जाने वाली सामग्री के नमूने कार्यालयीन समय में इस कार्यालय में देखे जा सकते हैं. प्रत्येक फॉर्म पर उपरोक्तानुसार ग्यारह अंकों में नम्बरिंग किया जाना है. मुद्रण से पूर्व पेपर एवं प्रूफ का अनुमोदन परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से कराया जाना है.
- पंजीकृत फर्म अपने वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं आई.बी.ए. में रजिस्टर्ड पंजीयन का प्रमाण-पत्र, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर अंकित कर अपने लेटर हैड पर दरें दिनांक 30 जुलाई, 2012 को दोपहर 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पेपर नमूनों के साथ प्रस्तुत करना होगा. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा. निविदा उसी दिनांक 30 जुलाई, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी.
- इस निविदा सूचना एवं शर्तों को वेबसाईड www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
- किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 2012

अल्प अवधि निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(86)2012/2487.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, भोपाल में “ए” श्रेणी में पंजीकृत ऐसे समस्त मुद्रक जो गोपनीय कार्य हेतु आई.बी.ए. में रजिस्टर्ड हैं, से निम्नानुसार विवरण की एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अन्तर्गत 110 प्रकार के लगातार फैन फोल्डर परफोरेटेड MICR चैक बुकों का मुद्रण कर प्रदाय हेतु सील बंद लिफाफों में दरें पेपर सहित (समस्त कर सहित) आमंत्रित की जाती हैं—

1. मुद्रित कराये जाने वाले MICR चैक का नमूना कार्यालयीन समय में देखा जा सकेगा. कृपया नमूना देखकर ही दरें प्रस्तुत करें.
2. चैक का आकार लगभग 9.3×23 से.मी. रहेगा, MICR चैक 98 जी.एस.एम. के चैक पेपर पर होगा, प्रत्येक चैक पर ट्रांजेक्शन का कोड 20 अंकित होगा.
3. MICR चैक पर बैंक एवं शाखा का नाम, चैक क्रमांक एवं MICR कोड अंकित होगा.
4. MICR चैकों की संख्या 6 अंकों में रहेगी.
5. MICR चैकों की पैकिंग 100 शीट में 300 चैक रहेंगे.
6. पैकिंग कन्टेनर पर बैंक एवं शाखा का नाम, चैक सीरिज एवं संख्या अनुसार तैयार किये जायेंगे एवं पैकिंग कन्टेनर के ऊपर इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य होगा.
7. पंजीकृत फर्म अपने वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं आई.बी.ए. में रजिस्टर्ड पंजीयन का प्रमाण-पत्र संलग्न कर अपने लेटर हैड पर दरें प्रति हजार चैक पेपर सहित दिनांक 1 अगस्त, 2012 को दोपहर 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पेपर नमूनों के साथ प्रस्तुत करना होगा. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा. निविदा उसी दिनांक को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी.
8. मुद्रित की जाने वाली सामग्री का ले-आऊट एवं डिजाईन मुद्रक द्वारा तैयार कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा. अनुमोदन पश्चात् चैक मुद्रित कराकर 15 दिवस में प्रदाय किये जाना होंगे. मुद्रण पश्चात् ले-आऊट एवं डिजाईन विभाग को वापस करना होगा.
9. मुद्रक द्वारा सामग्री की आपूर्ति उपरान्त देयक, मुद्रण कार्य की गुणवत्ता, संख्या, माल प्राप्ति की संतुष्टि उसकी मात्रा के प्रमाण-पत्र के साथ नमूने सहित देयक सत्यापन हेतु विभाग को प्रस्तुत करना होंगे. देयक का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा सीधे मुद्रक को किया जायेगा. सामग्री प्रदाय में विलम्ब की स्थिति में शास्ति अधिरोपित की जावेगी.
10. सफल निविदाकार को इस कार्यालय से सूचना प्राप्ति के 3 दिवस के अन्दर कुल मुद्रण राशि की 10 प्रतिशत राशि का 6 माह की अवधि का एफ.डी.आर. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पक्ष में तैयार कर प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा कर अनुबंध निष्पादित करना होगा.
11. इस निविदा सूचना को वेबसाईड www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
12. किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा.

(318)

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2012

अल्प अवधि निविदा सूचना

(लेखन एवं अन्य सामग्री)

क्र.जी. बी. चार/स्टे.(1)2012-13/2478.—मध्यप्रदेश शासन के विभागों के उपयोग में आने वाले लेखन एवं अन्य सामग्री की क्रय हेतु सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेन्ट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से निविदा मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) आमंत्रित की जाती हैं.

2. टेण्डर फॉर्म, निविदा की शर्तें एवं अनुबंध का प्रारूप मध्यप्रदेश शासन के वेबसाईड www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 3 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय अपरान्ह 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 3 अगस्त, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(319)

Bhopal, Dated 12th July, 2012

SHORT TENDER NOTICE

(Stationery & Other Articles)

No. GB-IV-Sty.(1) 2012-13/2478.—Sealed Tenders Technical & Commercial (seperately) are invited for the supply of Stationery & other Articles which has to be used for the different departments of Madhya Pradesh Government from manufacturers, their representative or dealer/distributors.

2. The details of the tender documents, terms of tender and the draft of the agreement are available at the website **www.tenders.gov.in** and **www.govtpressmp.nic.in**

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **3rd August, 2012** and the Envelop 'A' of Technical tender will be opened on the same day *i.e.* **3rd August, 2012** at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

(319-A)

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2012

अल्प अवधि निविदा सूचना

(प्रेस आर्टिकल्स)

क्र.जी. बी. चार/ पी. (1)2012-2013/2479.—मध्यप्रदेश शासन के विभागों के मुद्रण कार्य हेतु उपयोग में आने वाले प्रेस रॉ-मैटीरियल क्रय हेतु सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेन्ट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) आमंत्रित की जाती हैं.

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाईड **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर टेण्डर फॉर्म एवं निविदा की शर्तें एवं अनुबन्ध का प्रारूप उपलब्ध है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **4 अगस्त, 2012** को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर (**Technical Tender**) उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक **4 अगस्त, 2012** को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(320)

Bhopal, 12th July, 2012

SHORT TENDER NOTICE

(Printing Articles)

No. GB-IV-P (1) 2012-13/2479.—Sealed Tenders Technical & Commercial (seperately) are invited for the supply of Printing Raw-materials which has to be used for the different Printing works for the department of Madhya Pradesh Government from manufacturers, their representative or dealer/distributors.

2. The details of the tender documents and the draft of the agreement are available at the website **www.tenders.gov.in** and **www.govtpressmp.nic.in**.

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **4th August, 2012** and the Envelop 'A' of Technical tender will be opened on the same day *i.e.* **4th August, 2012** at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

(320-A)

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 2012

क्र.जी. बी. /दो(2)2012/2488.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में "ए" श्रेणी के पंजीकृत मुद्रक जिनके पास ए/1 आकार की 2 आफसेट मशीन अथवा ए/2 आकार की 4 आफसेट मशीनें एवं बाईण्डिंग कार्य हेतु सेक्शन सिविंग मशीन अथवा 5 सेक्शन सिविंग (जुजबन्दी सिलाई) करने वाले अनुभवी बाईण्डर की सुविधा उपलब्ध हो से निम्न सामग्री के मुद्रण हेतु पेपर सहित दरें (समस्त कर सहित) दरें सील बन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं. निविदा के साथ निविदा मूल्य राशि रुपये 1,000/- का बैंक ड्राफ्ट नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. नमूनों का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है:—

स. क्र.	सामग्री का विवरण	आकार एवं मापदण्ड	रजिस्टर में पन्ने (लीफ)	मात्रा
1	2	3	4	5
1.	पूरक पोषाहार स्टॉक-02	16 $\frac{1}{2}$ " × 13 $\frac{1}{4}$ ", अन्दर के पृष्ठ 80 जी. एस. एम. मेपलिथो पेपर सफेद एवं पिंक कलर पर एक रंग में द्वितीय प्रति परफोरेटेड, कव्हर 300 जी.एस.एम. आर्ट पेपर पर दो रंग में विथ मेट फिनिश लेमिनेशन, साइड थ्रेड सिविंग.	75	92,230 नग
2.	परिवार विवरण-01	8 $\frac{1}{2}$ " × 13 $\frac{1}{4}$ ", अन्दर के पृष्ठ 80 जी. एस. एम. मेपलिथो पेपर पर एक रंग में, कव्हर 130 जी. एस. एम. आर्ट पेपर पर दो रंग में विथ मेट फिनिश लेमिनेशन, हार्ड बाउंड बाईण्डिंग 2 एमएम. कार्ड बोर्ड सहित. बोथ साइड इंड पेपर 120 जी.एस.एम. मेपलिथो पेपर.	102	1,82,673 नग
3.	पूरक पोषाहार वितरण-03	तदैव	146	92,230 नग
4.	शालापूर्व शिक्षा-04	तदैव	98	92,230 नग
5.	गर्भावस्था एवं प्रसव-05	तदैव	18	92,230 नग
6.	टीकाकरण एवं बी.एच.एन.डी.-06	तदैव	34	92,230 नग
7.	विटामिन-ए-द्विवार्षिक रिकॉर्ड-07	तदैव	20	92,230 नग
8.	गृहभेंट योजना-08	तदैव	48	92,230 नग
9.	संदर्भ सेवाएं-09	तदैव	24	92,230 नग
10.	सारांश (मासिक एवं वार्षिक)-10	तदैव	54	92,230 नग
11.	बच्चों का वजन रिकॉर्ड-11	तदैव	30	92,230 नग
12.	गणना तालिका (6 वर्ष का कैलेण्डर तथा आयु/जन्म वर्ष/प्रसव की संभावित तिथि)	8 $\frac{1}{2}$ " × 13 $\frac{1}{4}$ ", अन्दर के पृष्ठ 80 जी. एस. एम. मेपलिथो पेपर पर एक रंग में, कव्हर 300 जी.एस.एम. आर्ट पेपर पर एक रंग में विथ मेट फिनिश लेमिनेशन, सेन्टर रिस्टच.	9	92,230 नग

विभाग द्वारा प्रेषित नमूनों, तकनीकी विवरण एवं शर्तों का कार्यालयीन समय में अवलोकन पश्चात् ही दर दिया जायें.

पंजीकृत फर्म अपने वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न कर अपने लेटर हैड पर पेपर नमूनों सहित मुद्रण हेतु दरें दिनांक 4 अगस्त, 2012 को दोपहर 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्थापित मशीनों के प्रमाण स्वरूप मशीन क्रय देयक की छाया प्रति, पेपर नमूनों एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर अंकित कर उसके साथ प्रस्तुत करना होगा. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा. निविदा उसी दिनांक को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी.

इस निविदा सूचना, शर्तें एवं तकनीकी विवरण को वेबसाईड www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक को होगा.

हीरालाल त्रिवेदी,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, झाबुआ

रा. प्र. क्र. 02/बी-113/11-12.

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

आवेदक श्री सत्यनारायणसिंह पिता सज्जनसिंह सोनगरा घोषणाकर्ता न्यासी कॉलेज मार्ग, झाबुआ द्वारा "राजपूत समाज झाबुआ", को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र धारा 4-5, मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के तहत प्रस्तुत किया गया है.

2. जिसकी सुनवाई दिनांक 13 जुलाई, 2012 को इस न्यायालय में समय 11.00 बजे की जावेगी.

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 13 जुलाई, 2012 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित हों. निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----------------------|----|---|
| 1. न्यास का पूरा नाम | .. | "राजपूत समाज, झाबुआ" राजपूत भवन, बसंत कॉलोनी, झाबुआ. |
| 2. अचल सम्पत्ति | .. | 1. राजपूत भवन, बसंत कॉलोनी, झाबुआ.
2. 25x70 व. फी. का प्लॉट नजरबाग, राजमहल के पीछे, झाबुआ. |
| 3. चल सम्पत्ति | .. | रुपये 11,000/- झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता क्र. 20010058 में जमा. |

संजय चतुर्वेदी,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार.

(306)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, जिला बुरहानपुर

दिनांक 25 जून, 2012

प्रारूप-तृतीय

[नियम पाँच (1) देखिये]

प्र. क्र. /बी-113/2011-2012.

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक अध्यक्ष सोनार समाज ट्रस्ट निवासी छोटे बालाजी की गली पांडुमल चौराहा, बुरहानपुर ने "सोनार समाज ट्रस्ट" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 26 जुलाई, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----------------------------|----|---|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता | .. | सोनार समाज ट्रस्ट, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश. |
| 2. चल सम्पत्ति | .. | बैंक में जमा 11,000/- |
| 3. अचल सम्पत्ति | .. | अचल संपत्ति के रूप में प्लॉट 2477 वर्गफीट भूमि है. |

(307)

दिनांक 30 मई, 2012.

प्रारूप-तृतीय

[नियम पाँच (1) देखिये]

प्र. क्र. /बी-113/2011-2012.

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक अध्यक्ष अशोक कुमार पिता बाबुलाल अग्रवाल, निवासी अग्रसेन चौक, बुरहानपुर द्वारा "श्री सनातन धर्म प्रचार समिति, जिला बुरहानपुर" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 30 जून, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता | .. श्री सनातन धर्म प्रचार समिति 53, राजपुरा जैन मंदिर के समाने, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश. |
| 2. चल सम्पत्ति | .. 51,000/- रुपये जमा. |
| 3. अचल सम्पत्ति | .. निरंक. |

आर. एस. अगस्थी,
पंजीयक.

(307-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. 05/बी-113 (1)/2011-12.

प्रारूप-चार

खण्डवा, दिनांक 30 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि—ओ. पी. गायकवाड़ पिता श्री व्ही. पी. गायकवाड़, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2012 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

- | | |
|--------------------------------|---|
| सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता | : कलेक्टोरेट कर्मचारी कल्याण पारमार्थिक ट्रस्ट, खण्डवा, मध्यप्रदेश. |
| चल सम्पत्ति | : रुपये 11,000/- नकद. |
| अचल सम्पत्ति | : निरंक. |

रजनीश कसेरा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(313)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र बदनावर, जिला धार

प्रारूप क्रमांक-4

प्र. क्र./बी-113/2011-12.

[नियम 5 (1) देखिये]

174/20-6-2012.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयन तहसील बदनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश.

अतः श्री राधाकृष्ण भक्ति मण्डल ट्रस्ट कानवन द्वारा ट्रस्टी श्रीमति लक्ष्मीबाई पति शांतिलाल शर्मा, निवासी कानवन, तहसील बदनावर, जिला धार द्वारा एक आवेदन-पत्र श्री जी. पी. सिंह अभि. के मार्फत मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 (2) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कानवन, तहसील बदनावर, जिला धार में श्री राधाकृष्ण भक्ति मण्डल ट्रस्ट द्वारा मंदिर निर्माण तथा धार्मिक, क्रियाओं व विकास करना, समाज की संपत्ति, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, गतिविधियां आदि कार्यों को किया जाने हेतु लोक न्यास का गठन किया जाने का निवेदन किया गया. उक्त कार्यवाही के संबंध में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मेरे न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 13 अगस्त, 2012 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता एवं सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	श्री राधाकृष्ण भक्ति मण्डल ट्रस्ट, कानवन, तहसील बदनावर.
न्यास का पता	कानवन, तहसील बदनावर, जिला धार.
चल सम्पत्ति/ अचल सम्पत्ति	कुछ नहीं.

(314)

अरुण रावल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि "लाईफ इंडिया फाउण्डेशन ट्रस्ट" द्वारा श्री विजय कुमार दास पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र दास वैष्णव, निवास हिन्दी मेल भवन, नेशनल प्रेस एरिया सप्रे मार्ग, लिंक रोड क्रमांक-3, प्लॉट क्रमांक-3, पत्रकार कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2012 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	"लाईफ इंडिया फाउण्डेशन ट्रस्ट".
2. अचल सम्पत्ति	निरंक.
3. चल सम्पत्ति	81,000/-

(315)

उमाशंकर भार्गव,
रजिस्ट्रार.


अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनसंरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल, उमरिया

उमरिया, दिनांक 22 जून, 2012

क्र./मा.चि./2012/834.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र घुनघुटी हैमर प्रदाय किया गया था. वनपरिक्षेत्राधिकारी घुनघुटी ने पत्र क्र./847, दिनांक 7 जून, 2012 से इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि श्री ओमप्रकाश कुम्हरे, वनरक्षक बीट अमिलिहा से वनभ्रमण के दौरान उक्त हैमर गिरकर गुम हो गया है. जिसकी रिपोर्ट थाना पाली में दर्ज कराया गया एवं हैमर के खोजबीन के समस्त प्रयास असफल रहे.

अतः वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न दर्शित गुमशुदा हैमर को स्टॉक रजिस्टर के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.



उक्त हैमर की कीमत 100 (एक सौ रुपये मात्र) श्री ओमप्रकाश कुम्हरे, वनरक्षक से एक मुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने या कार्यालय उमरिया वनमण्डल में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के बाद यदि कोई हैमर को गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

(316)

आर. के. पाठक,
वनसंरक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

प्रति,

अध्यक्ष,

जय गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जय गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./376, दिनांक 16 जुलाई, 2004 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 5 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर

अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(308)

ग्वालियर, दिनांक 5 जुलाई, 2012

प्रति,

अध्यक्ष,

विजय लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1350.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./311, दिनांक 7 सितम्बर, 2002 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा वर्ष 6 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है। जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है।

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(308-A)

प्रति,

अध्यक्ष,

गायत्री बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार गायत्री बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./483, दिनांक 14 मार्च, 1985 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।

2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 6 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-B)

प्रति,

अध्यक्ष,

अमन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./300, दिनांक 19 जनवरी, 2001 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएँ पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 9 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-C)

ग्वालियर, दिनांक 5 जुलाई, 2012

प्रति,

अध्यक्ष,

निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., मुरार, जिला ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2012/1353.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., मुरार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./602, दिनांक 22 फरवरी, 1992 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-D)

प्रति,

अध्यक्ष,

एल. एन. सी. पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

फिजिकल कॉलेज, मेला रोड, ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार एल. एन. सी. पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./147, दिनांक 1 अप्रैल, 1989 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा वर्ष 9 से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है। जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है।

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(308-E)

प्रति,

अध्यक्ष,

महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., चन्द्रवदनी नाके के पास, ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./103, दिनांक 6 नवम्बर, 1982 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा वर्ष 19 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है। जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है।

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(308-F)

प्रति,

अध्यक्ष,

सुदर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., आमखो बस स्टेण्ड, ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुदर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./232, दिनांक 31 अक्टूबर, 1975 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 9 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-G)

प्रति,

अध्यक्ष,

विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जटार वाली गली, ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./77, दिनांक 7 सितम्बर, 1979 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 7 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-H)

प्रति,

अध्यक्ष,

राघवेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर. E-9, बलवन्त नगर, ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राघवेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./96, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 14 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-I)

प्रति,

अध्यक्ष,

सत्यराज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्यराज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/

ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./356, दिनांक 9 सितम्बर, 2003 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 5 से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-J)

प्रति,

अध्यक्ष,

पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./134, दिनांक 20 अप्रैल, 1987 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 5 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-K)

प्रति,

अध्यक्ष,

रामचन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामचन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./366, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उप नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 7 से लेखापुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-L)

ग्वालियर, दिनांक 5 जुलाई, 2012

प्रति,

अध्यक्ष,

नगरपालिका कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1362.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./901, दिनांक 14 सितम्बर, 2000 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 6 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-M)

ग्वालियर, दिनांक 5 जुलाई, 2012

प्रति,

अध्यक्ष,

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पाटनकर बाजार, ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1363.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./73, दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएँ पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 38 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-N)

ग्वालियर, दिनांक 5 जुलाई, 2012

प्रति,

अध्यक्ष,

सीमा सुरक्षा बल पुनर्वास साख सहकारी संस्था मर्या., टेकनपुर, ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1364.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा सुरक्षा बल पुनर्वास साख

सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./887, दिनांक 5 अप्रैल, 1999 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्षसे लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-O)

प्रति,

अध्यक्ष,

श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., घोसीपुरा स्टेशन के पास, ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./90, दिनांक 20 अक्टूबर, 1981 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 17 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो

दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-P)

प्रति,

अध्यक्ष,

निर्मित श्रमठेका सहकारी संस्था मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्मित श्रमठेका सहकारी संस्था मर्या., डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./1392, दिनांक 28 सितम्बर, 2005 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष..... से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-Q)

प्रति,

अध्यक्ष,

महर्षि बाल्मिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार महर्षि बाल्मिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर

पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./141, दिनांक 20 जनवरी, 1988 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 5 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-R)

प्रति,

अध्यक्ष,

राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./185, दिनांक 10 जनवरी, 1992 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 17 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो

दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-S)

प्रति,

अध्यक्ष,

ग्वालियर गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./173, दिनांक 30 सितम्बर, 1989 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 5 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(308-T)

प्रति,

अध्यक्ष,

कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./जी. डब्ल्यू. आर./893, दिनांक 16 अक्टूबर, 1999 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 5 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है. जिससे संस्था का वर्ष का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 2 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 5 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. बाजपेई,
उप-पंजीयक.

(308-U)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला धार

धार, दिनांक 26 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/972.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा सड़क, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 12 फरवरी, 1999 है, का कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2011/1159, धार, दिनांक 12 जुलाई, 2011 अनुसार परिसमापन में लाई जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/27, धार, दिनांक 27 जनवरी, 2012 द्वारा श्री के. के. जमरे, सहकारी निरीक्षक, धार को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समिति के परिसमापक द्वारा समिति के कार्यशील बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाकर समिति को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि समिति कार्यशील होकर एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकेगी एवं समिति को पुनर्जीवित करना प्रतीत होता है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा सड़क, तहसील मनावर, जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(309)

धार, दिनांक 26 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/973.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा सड़क, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 12 फरवरी, 1999 है, को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2011/1159, धार, दिनांक 12 जुलाई, 2011 अनुसार परिसमापन में लाई जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/27, धार, दिनांक 27 जनवरी, 2012 द्वारा श्री के. के. जमरे, सहकारी निरीक्षक, धार को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/972, धार दिनांक 26 जून, 2012 से आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा सड़क, तहसील मनावर, जिला धार को पुनर्जीवित किया गया है. समिति के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार नामांकित कमेटी तीन माह के लिये गठित की जाती है.—

क्रमांक	नाम	पद
1.	श्री मुकुटसिंह रामसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री राजाराम सावता	उपाध्यक्ष
3.	श्री बाबूलाल मुकुंद	सदस्य
4.	श्री भुवान झेता	सदस्य
5.	श्री बाऊ देवरा	सदस्य
6.	श्री दशरथ हागरिया	सदस्य
7.	श्री चंद्रसिंह श्रवण	सदस्य
8.	श्रीमती तेजलबाई	सदस्य
9.	श्रीमती देवकीबाई गुलाब	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(309-A)

भंवर मकवाना,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 4 मई, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/246, विदिशा दिनांक 28 फरवरी, 2007 से प्रियंका महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, तलापार, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./610, दिनांक 8 मार्च, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल अहिरवार, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा प्रियंका महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, तलापार, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-05-01-1999/एक-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रियंका महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, तलापार, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./610, दिनांक 8 मार्च, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(310)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-आयुक्त एवं परिसमापक सहकारिता, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 14 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

उप-आयुक्त एवं उप-रजिस्ट्रार, सहकारिता जिला उज्जैन द्वारा निर्मांकित सहकारी संस्था को उसके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे (घनश्याम परिहार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक) परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संबंधित संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हों, तो लिखित में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

उक्त सूचना आज दिनांक 14 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	DR/UJN/55/10-12-1976	435/27-02-2012

(311)

o

घनश्याम परिहार,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[सहकारी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बघेरा, तहसील तराना जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./399, दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) के पत्र क्रमांक/अंके./146, दिनांक 1 जुलाई, 2011 द्वारा संस्था को अकार्यशील बताया गया है। तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./151, दिनांक 20 जनवरी, 2012 से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2012 नियत की गई थी। संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2012 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, कि संस्था विगत 2 वर्षों से अकार्यशील है तथा निकट भविष्य में संस्था पुनः प्रारम्भ होने की संभावना नगण्य है एवं पर्यवेक्षक (क्षे. स.) दुग्ध संघ उज्जैन के पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2012 से बताया गया कि संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क/ग) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 20 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बघेरा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./399, दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 है, जिसको परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत आस्तियां/दायित्वों के नियमानुसार निराकरण करने हेतु श्री आर. एस. मेहर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड तराना को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(302-D)

[सहकारी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामावासा, तहसील उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./838, दिनांक 4 मार्च, 1989 है,

कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) के पत्र क्रमांक/अंके./146, दिनांक 1 जुलाई, 2011 द्वारा संस्था को अकार्यशील बताया गया है। तत्पश्चात कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./151, दिनांक 20 जनवरी, 2012 से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2012 नियत की गई थी। श्री एच. सी. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध सहकारी संघ उज्जैन द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2012 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया कि संस्था कई वर्षों से अकार्यशील है एवं संस्था के कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है। इससे स्पष्ट है कि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा संस्था को कार्यशील बनाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 20 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रामावासा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./838, दिनांक 4 मार्च, 1989 है, जिसको परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत आस्तियां/दायित्वों के नियमानुसार निराकरण करने हेतु श्री आर. एल. नागर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उज्जैन को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(302-E)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

माझी, मछुआ सहकारी समिति मर्या., टिकरिया, पो. टिकरिया, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष माझी, मछुआ सहकारी समिति मर्या., टिकरिया, पो. टिकरिया, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय। अतः माझी, मछुआ सहकारी समिति मर्या., टिकरिया, पो. टिकरिया, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 641, दिनांक 24 अगस्त, 2009 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है।
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रुचि नहीं ली जा रही है।
4. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है।
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है। उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे। यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(312)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

श्री आदर्श ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिल्हा, पो. कमताना तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष श्री आदर्श ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिल्हा, पो. कमताना तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः श्री आदर्श ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिल्हा, पो. कमताना तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 610, दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आदर्श ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., पुरैना, पो. पुरैना, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष आदर्श ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., पुरैना, पो. पुरैना, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः आदर्श ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., पुरैना, पो. पुरैना, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 619, दिनांक 25 फरवरी, 2005 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे। यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(312-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

श्री कल्याण देशी-विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष श्री कल्याण देशी-विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः श्री कल्याण देशी-विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 638, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., हडा, पो. व तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., हडा, पो. व तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., हडा, पो. व तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 372, दिनांक 1 अगस्त, 1996 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है ना, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
6. बैंक खाते का संचालन किये बिना, राशि का उपयोग किया जा रहा है. स्टॉक रजिस्टर आदि पंजियों का संघारण किये बिना फर्जी ढंग से राशि का लेनदेन किया गया है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है। उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे। यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(312-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,
आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रमपुरा, पो. इटवाकला, तहसील व जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रमपुरा, पो. इटवाकला, तहसील व जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रमपुरा, पो. इटवाकला, तहसील व जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 635, दिनांक 27 मार्च, 2008 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है।
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है।
4. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है।
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
6. शासकीय राशि ऋण/अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अभिलेखों में संघारण किये बिना राशि का उपयोग किया गया स्टॉक रजिस्टर आदि पंजियों का संघारण किये बिना फर्जी ढंग से राशि का लेनदेन किया गया है।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है। उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे। यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(312-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लुहरगांव, पो. लुहरगांव, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लुहरगांव, पो. लुहरगांव, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लुहरगांव, पो. लुहरगांव, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 341, दिनांक 25 फरवरी, 1991 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है।
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है।
4. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है।

5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
6. शासकीय राशि ऋण/अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अभिलेखों में संघारण किये बिना, राशि का उपयोग किया गया स्टॉक रजिस्टर आदि पंजियों का संघारण किये बिना फर्जी ढंग से राशि का लेनदेन किया गया है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

माँ कलेही, बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पबई, पो. व तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष माँ कलेही, बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पबई, पो. व तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः माँ कलेही, बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पबई, पो. व तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 632, दिनांक 23 अगस्त, 2007 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.

4. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संचारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

सहेली महिला साख सहकारी समिति मर्या., अजयगढ़, पो. व तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष सहेली महिला साख सहकारी समिति मर्या., अजयगढ़, पो. व तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः सहेली महिला साख सहकारी समिति मर्या., अजयगढ़, पो. व तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 612, दिनांक 12 नवम्बर, 2009 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.

4. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारु के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझगवां (कोठी) पो. मोहन्द्रा, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.— अध्यक्ष आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझगवां (कोठी) पो. मोहन्द्रा, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझगवां (कोठी) पो. मोहन्द्रा, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 480, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
2. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
4. संस्था के अभिलेख तातारीख संचारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरांत प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-1)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

श्री आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जरुआपुरा, पो.- एम. एम. डी. सी. कलौनी, पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष श्री आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जरुआपुरा, पो.- एम. एम. डी. सी. कलौनी, पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः श्री आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जरुआपुरा, पो.- एम. एम. डी. सी. कलौनी, पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 480, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
2. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है।
4. संस्था के अभिलेख तातारीख संचारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है। उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे। यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(312-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

श्री आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सटवा, पो. मडवा, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष श्री आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सटवा, पो. मडवा, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः श्री आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सटवा, पो. मडवा, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 594, दिनांक 7 मई, 2004 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है।
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है।
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

4. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संचारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आदि. कुवारी, प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अमानगंज, पो. अमानगंज, तहसील गुन्नौर, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—.....

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः आदि. कुवारी, प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अमानगंज, पो. अमानगंज, तहसील गुन्नौर, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 628, दिनांक 26 जुलाई, 2007 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.

3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूं कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

एकलब्ध आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर एवं वनोपज सहकारी समिति मर्या., सकतरा पो. कल्दा, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष एकलब्ध आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर एवं वनोपज सहकारी समिति मर्या., सकतरा पो. कल्दा, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः एकलब्ध आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर एवं वनोपज सहकारी समिति मर्या., सकतरा पो. कल्दा, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 381, दिनांक 25 नवम्बर, 1997 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.

3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संचारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

हरि./आदि. महिला ईट निर्माण श्रमिक सहकारी समिति मर्या., देवगाव, पो. देवगाव, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष हरि./आदि. महिला ईट निर्माण श्रमिक सहकारी समिति मर्या., देवगाव, पो. देवगाव, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः हरि./आदि. महिला ईट निर्माण श्रमिक सहकारी समिति मर्या., देवगाव, पो. देवगाव, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 400, दिनांक 24 अगस्त, 1999 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.

3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.
4. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बीडी श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, पो. अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष महिला बीडी श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, पो. अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.).

क्र./परि./2012/735.—इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः महिला बीडी श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, पो. अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 515, दिनांक 27 मई, 2003 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.

4. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संचारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

हरिजन पत्थर खदान श्रमिक मजदूर समिति मर्या., इटौरी, पो. अमानगंज, पो. गुन्नौर, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष हरिजन पत्थर खदान श्रमिक मजदूर समिति मर्या., इटौरी, पो. अमानगंज, पो. गुन्नौर, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः हरिजन पत्थर खदान श्रमिक मजदूर समिति मर्या., इटौरी, पो. अमानगंज, पो. गुन्नौर, तहसील पबई, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 380, दिनांक 7 नवम्बर, 1996 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.

4. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संघारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरान्त प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, पो. अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, पो. अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, पो. अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 250, दिनांक 25 मार्च, 1972 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में नहीं कराया गया है.
2. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
3. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.

4. संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
5. संस्था के अभिलेख तातारीख संचारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
6. बैंक खाते का संचालन किये बिना, राशि का उपयोग किया जा रहा है. स्टॉक रजिस्टर आदि पंजियों का संचारण किये बिना फर्जी ढंग से राशि का लेनदेन किया गया है.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(312-Q)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अजयगढ़ (वार्ड नं. 9 से 15) पो. तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.).

द्वारा.—अध्यक्ष लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अजयगढ़ (वार्ड नं. 9 से 15) पो. तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना (म. प्र.).

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि संस्था को परिसमापन में लाया जाय. अतः लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अजयगढ़ (वार्ड नं. 9 से 15) पो. तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी. 634, दिनांक 7 नवम्बर, 2007 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने के योग्य हो गई है:—

1. संस्था के संचालक मण्डल की बैठकें एवं वार्षिक आमसभा का आयोजन पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं की जा रही है.
2. संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन के लिये कोई रूचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था पंजीयन दिनांक ये अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो गई है तथा संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है न, ही संस्था कार्यालय एवं बोर्ड नहीं लगाया गया है.
4. संस्था के अभिलेख तातारीख संचारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का अनुपालन करना बंद कर दिया है. उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्यरत नहीं है अतः संस्था एक निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बाडी) के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-डी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 व दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा यथा संशोधित पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्यतः विशेष आमसभा में विचारोपरांत प्रस्तुत किया जावे, यदि अध्यक्ष/प्रबंधक संचालक मंडल के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

यहां निर्देशित किया जाता है कि संस्था का परिसमापन प्रकरण होने के कारण उपरोक्त समयावधि में संचालक मंडल के सदस्य तथा संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक आमसभा के सदस्यों के विचारार्थ विशेष साधारण सभा बुलाकर इस कारण बताओ सूचना-पत्र को उनके संज्ञान में लाया जावे, उनके समक्ष विचारोपरान्त प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जावे. यदि उपरोक्त समयावधि को सदस्यों के निर्णय अनुरूप इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि समस्त संस्था सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं, उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत संस्था को परिसमापित किया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
सहायक पंजीयक.

(312-R)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई 2012-आषाढ़ 29, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के टीकमगढ़ जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जिला टीकमगढ़ (टीकमगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला शहडोल, प. निमाड़, बड़वानी, भोपाल में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला गुना व रायसेन व होशंगाबाद, डिण्डोरी व सिवनी व बैतूल में फसल गेहूँ व नीमच में गेहूँ, चना व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर व कटनी में गेहूँ, चना, तुअर व सिंगरोली में तुअर, चना, गेहूँ, सरसों तथा मण्डला, दमोह, अनूपपुर, धार, इन्दौर, पूर्व निमाड़, सीहोर, हरदा में रबी मौसम की फसल कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, झाबुआ, भोपाल, रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) . . . (2) बाजरा, सोयाबीन,गेहूँ, राई-सरसों समान.	5. . . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) . . . (2) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) . . . (2) . . .	5. . . . 6. . . .	7. . . . 8. . . .
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) . . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
*जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) . . . (2) . . .	5. . . . 6. . . .	7. . . . 8. . . .
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) . . . (2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) गेहूँ चना, सरसों, धनिया समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) गेहूँ, जौ समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	3.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. खरगापुर	..				
7. पलेरा	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. ओरछा	..				
10. लिधौरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) गेहूँ, चना समान.		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
*जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गदाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..		राई-सरसों सुधरी हुई.		
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. जौ	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..		(2) ..		
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. त्यौंथर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	..		(2) ..		
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) गेहूँ अधिक. अरहर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		अलसी अधिक. मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..		(2) ..		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..		मसूर, लाख, तिबड़ा, गेहूँ, जौ		
4. कुसमी	..		समान.		
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. फसल तुअर, चना, गेहूँ,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	..	सरसों की कटाई का कार्य	4. (1) तुअर, चना, गेहूँ, जौ, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..	चालू है.	सरसों अधिक. मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..		(2) . . .		
*जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुबासरटप्पा	..		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भानपुरा	..		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..		(2) . .		
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	..		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	..		(2) . .		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..		(2) . .		
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, आलू, प्याज अधिक. चना, उड़द कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .				
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. जोवट	. .				
2. अलीराजपुर	. .				
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .				
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .				
2. सांवेर	. .				
3. इन्दौर	. .				
4. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .				
2. सनावद	. .				
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी				
2. ठीकरी				
3. राजपुर				
4. सेंधवा				
5. पानसेमल				
6. पाटी				
7. निवाली				
8. अंजड				
9. वरला				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा				
2. पंधाना				
3. हरसूद				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर				
2. खकनार				
3. नेपानगर				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गन्ना कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर				
2. खिलचीपुर				
3. राजगढ़				
4. ब्यावरा				
5. सारंगपुर				
6. नरसिंहगढ़				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी				
2. सिरोंज				
3. कुरवाई				
4. बासौदा				
5. नटेरन				
6. विदिशा				
7. ग्यारसपुर				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक. गन्ना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया				
2. हुजूर				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर				
2. श्यामपुर				
3. आष्टा				
4. जावर				
5. इछावर				
6. नसरुल्लागंज				
7. बुधनी				
8. रेहटी				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. जौ, चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मसूर, मटर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, तुअर व अन्य रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .				
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	. .				
2. बिछिया	. .				
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .				
2. शाहपुरा	. .				
*जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. छिन्दवाड़ा	. .				
2. जुन्नारदेव	. .				
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांडुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, तिवड़ा, लाख, राई-सरसों कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .				
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .				
2. लाँजी	. .				
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, दतिया, पन्ना, रीवा, मन्दसौर, रतलाम, छिन्दवाड़ा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(305)